IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

विषयः– ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु सहमति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम पंचायत सहायकों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाये जाने सम्बन्धित आपके प्रस्ताव के क्रम में निवेदन है कि राज्य वित्त आयोग की वर्ष 2019–20 की सिफारिशों के बिन्दु संख्या 10.27 (v) के अनुसार रूपये 200 करोड़ के भुगतान पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किये जाने की सहमति/सिफारिश कर दी गई है। इसकी पालना में पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश भी जारी किये गए हैं ।

अतः उक्तानुसार सहमति/सिफारिश एवं विभागीय दिशा–निर्देशों की प्रति वांछित कार्यवाही करवाये जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए0टी0 पंडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त

www.rajteachers.com

प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) विभाग।

अ0शा0टीपक0 एफ.4( )MTW/विधि/पंरा/2016/2083
जयपुर,दिनांकः 06-9-2019

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 165(07)पंरावि/एसएफसी/पंचग/दिशा–निर्देश/2019–20/2384 जयपुर, दिनांक– 05.09.19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, सगरत।

विषयः– पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय कुल अनुदान राशि में से 55 प्रतिशत राशि मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए (यह केवल वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए), 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों के लिए (यह केवल वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए) तथा 5 प्रतिशत राशि निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी।

आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.182 प्रतिशत हिस्से का वितरण वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.1 एवं 24.9 प्रतिशत के अनुपात में किये जाने एवं राशि का वितरण जिलेवार निर्धारित भारांकन के आधार पर राज्य की जिला परिषदों को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत हिस्सा राशि दिये जाने की संस्तुति की गई है।

पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के अध्याय–10 के बिन्दु संख्या–10.39(13) के अनुसार 60 प्रतिशत अनुदान की उपयोगिता के लिए शर्त तब लागू होगी जब किश्त समय पर जारी की जाती है अर्थात् सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में प्रथम किश्त और तीसरी तिमाही में दूसरी किश्त जारी की जावे।

www.rajteachers.com

संस्तुति अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोग हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

(अ) मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए हस्तांतरित की जाने वाली 55 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश (यह सिफारिश केवल वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए)

1. राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि के प्रथम चार्ज के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में पेजयल व्यवस्था बाबत् जल योजना के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय (केवल विद्युत व्यय, रखरखाव, पुर्नस्थापना आदि) पर वहन किया जाना है।
2. सफाई एवं कूड़े का व्ययन ग्राम पंचायतों द्वारा प्राथमिकता से नियमित आधार पर निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. पंचायती राज संस्थाएं राज्य वित्त आयोग पंचम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही राशि से आधारभूत नागरिक सेवाओं के सृजन, संवर्धन एवं रखरखाव से संबंधित निम्नांकित कार्य संपादित कर सकेंगी:–

I. स्वच्छता (जिसमें सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों का निर्माण/रख–रखाव शामिल है) एवं नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था की जावें।
II. ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्य।
III. गलियों एवं सड़को पर प्रकाश व्यवस्था।
IV. ग्राम पंचायत की गलियों और सड़कों की दैनिक आधार पर सफाई व्यवस्था।
V. सामुदायिक केन्द्रों/श्मशान/कब्रिस्तान के रख–ररखाव।
VI. पेयजल आपूर्ति
VII. जल टैंकों का रख–रखाव।
VIII. स्वच्छता एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से आन्तरिक सड़कों, सीमेंट कांकरीट रोड़ (सी. सी. प्री–कॉस्ट, इंटरलॉकिंग ब्लॉक, पत्थर/ईट खरंजा सहित) मय नाली निर्माण साथ ही फुटपाथ के कार्य अनुमत होंगे। *इन कार्यों पर योजनांतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि की अधिकतम 60 प्रतिशत सीमा तक राशि खर्च की जा सकेगी।*
IX. कम्प्यूटराजेशन, क्षमता विकास एवं आधारभूत ढांचे का सृजन।
X. ऑडिट फीस का भुगतान।
XI. बस अड्डों पर टिनशेड एवं जनसुविधाओं की व्यवस्था, प्याऊ एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों का रख–रखाव।
XII. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण।
XIII. जिला प्रमुखों/प्रधानों एवं सरपंचों के मानदेय एवं भत्तों तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को देय भत्तों का भुगतान वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों से इस मद अन्तर्गत प्राप्त राशि से किया जावेगा।
XIV. पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के अध्याय–13 के बिन्दु संख्या–9 के क्रम में शिवरों/अभियानों के लिए ग्राम पंचायत पर राशि रू. 0.50 लाख, पंचायत समिति पर राशि रू. 1.00 लाख और जिला परिषद पर राशि रू. 1.50 लाख की सीमा तक प्रतिवर्ष व्यय की जा सकेगी।

www.rajteachers.com

XV. पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के अध्याय–10 के पैरा संख्या 10.27 के बिन्दु संख्या–(V) में आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अनुदान की रकम में से मल्टीटॉस्क स्टॉफ को पारिश्रमिक का संदाय अधिकतम 200.00 करोड़ रूपये वार्षिक व्यय किया जा सकेगा, जिसके लिये पृथक से निर्देश प्रसारित किये जावेगे।

XVI. ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति भवनों का निर्माण/रखरखाव/उन्नयन।

XVII. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन राजकीय विद्यालयों में शौचालयों का रखरखाव।

XVIII. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन राजकीय विद्यालयों में कक्षा–कक्षों का निर्माण/रखरखाव/उन्नयन।

XIX. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन विद्यमान भवनों का अनुरक्षण/उन्नयन; नवीन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों के भवनों का संनिर्माण, पौधारोपण; विद्यालयों, आंगनबाड़ियों इत्यादि में शौचालयों का संनिर्माण चारदीवारी स्थानीय आवश्कताओं के अनुसार किया जावेगा।

(ब) राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता स्कीमों के लिए हस्तांतरित की जाने वाली 40 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश (यह सिफारिश केवल वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए)

राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों के लिए प्राप्त 40 प्रतिशत रकम को निम्नलिखित में से किसी भी क्रियाकलाप के लिए उपयोग में लिया जा सकता है :–

1. सूचना प्रौद्योगिकी/ई–गवर्नेन्स /डाटाबेस का उपयोग।
2. पेयजल/जनता जल योजना/आर.ओ. प्रणाली।
3. जल स्वावलम्बन अभियान/वृक्षारोपण।
4. स्वच्छ भारत अभियान/विद्यालय स्वच्छता/खुले में शौच से मुक्त ग्राम।
5. अन्नपूर्णा रसोई योजना।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
7. सौर/एल.ई.डी. लाईटों का उपयोग।
8. अग्निशमन सेवाएं।
9. लिंग संवेदीकरण –बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
10. मुकदमेबाजी रहित ग्राम/शहर/अपराध से मुक्त ग्राम।
11. युवा विकास के लिए क्रियाकलाप (जैसेः–खेल, खेल–कूद, कौशल, स्वच्छता एवं उनके व्यक्तित्व विकास हेतु कैम्पों का आयोजन जिनमें राष्ट्र निर्माण कियाकलाप सम्मिलित हो।

नोटः– आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के बिन्दु संख्या 4 (अन्य सिफारिशों) (i) के अनुसार आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत देय राशि का उपयोग किसी व्यक्ति/कार्मिक/जन प्रतिनिधि की निजी आवश्कताओं के लिए नही किया जावेगा।

www.rajteachers.com

(स) निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में हस्तांतरित की जाने वाली 5 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान बाबत् की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के बिन्दु संख्या–3 के कम संख्या 1(अ) के अन्तर्गत 5 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किसी भी एक कार्य को पूर्ण करने पर देय होगी:–

1. **आय और व्यय के लेखाओं का समयबद्ध रखरखाव:–** राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 11 के नियम 228 से 230 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2015–16 में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आय व्यय के लेखों के समुचित संधारण के लिए दिया जावेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा आय–व्यय के लेखों के संधारण के लिए संबंधित पचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के आय–व्यय लेखों के संधारण के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। जिला परिषदों में आय–व्यय के लेखों के संधारण हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठतम लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

2. **"आस्ति रजिस्टर"(Asset Register) सहित अभिलेखों का रखरखाव:–** राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 9 के नियम 136 से 139 अन्तर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2015–16 में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आस्ति रजिस्टर एवं स्थावर सम्पत्तियों के लेखों के समुचित संधारण के लिए दिया जावेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों को संधारण के लिए संबंधित पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों के संधारण के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। जिला परिषदों में आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों के संधारण हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

www.rajteachers.com

3. पूर्व वर्ष की तुलना में स्वयं के राजस्व (निजी आय) में वृद्धिः– राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 7 व 8 के नियमों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2015–16 में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राजस्व (निजी आय) में न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर दिया जावेगा। ग्राम पंचायतों में निजी आय में वृद्धि के लिए संबंधित पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के निजी आय में वृद्धि के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। जिला परिषद की निजी आय में वृद्धि हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

पंचायती राज संस्थाओं को 5 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि उक्त कार्यों में से किसी भी एक कार्य को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक विभाग (मुख्यालय) को प्राप्त होने पर ही देय होगी। निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में हस्तांतरित की जाने वाली 5 प्रतिशत राशि हेतु वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित नहीं की जावेगी, जिसके लिए संबंधित पंचायती राज संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

राशि के उपयोग एवं लेखा सम्प्रेषण की प्रकिया :–

ग्राम पंचायतों द्वारा योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि का मासिक लेखा संबंधित पंचायत समिति को आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। पंचायत समितियों द्वारा ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति को प्राप्त कुल राशि का मासिक व्यय विवरण जिला परिषद को प्रतिमाह 10 तारीख तक एवं जिला परिषदों द्वारा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं उन्हे प्राप्त कुल राशि का मासिक व्यय विवरण प्रतिमाह 15 तारीख तक विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा। इन लेखों में योजना अन्तर्गत संपादित किये जा रहे कार्यों पर हुए व्यय, बैंक खातों में योजनांतर्गत उपलब्ध राशि, गत माह में इन कार्यों हेतु आहरित राशि एवं भौतिक प्रगति का विवरण सम्मिलित किया जावेगा।

(i) योजनातंर्गत कार्यों का संपादन प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2015 में अंकित तकनीकी मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुरूप किया जावेगा। प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने की शक्तियां प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुरूप रहेंगी।

www.rajteachers.com

(ii) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों का निष्पादन राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्याय 10 के अनुरूप तथा समय–समय पर किये गये संशोधनों/दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जावेगा। योजना की राशि का व्यय करते समय वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं/RTPP Act/RTPP Rules एवं समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

(iii) यह दिशा–निर्देश राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसरण में जारी किये जा रहे है। उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का होगा।

(iv) ये दिशा निर्देश वित्त विभाग की आई डी संख्या 101904106 दिनांक 05.09.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

संलग्नः– मासिक प्रगति प्रारूप।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक एफ 165(07)पंराचि/एसएफसी/पंचम/दिशा–निर्देश/2019–20 जयपुर, दिनांकः–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 निजी सहायक, महालेखाकार, राज. जयपुर।
4 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5 संयुक्त सचिव वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
6 संयुक्त सचिव वित्त (व्यय–5) विभाग।
7 निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन ज्योति नगर, जयपुर।
8 समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद।
9 प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
10 रक्षित पत्रावली।

(हरि सिंह मीणा)
वित्तीय सलाहकार

www.rajteachers.com

जिला परिषद .....
माह.....

राज्य वित्त आयोग–पंचम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	पंचायती राज संस्था	01.04.2015 से अब तक की प्रगति															
			वित्तीय प्रगति			यू.सी.		भौतिक प्रगति				कुल में से अनुसूचित जाति के लिए				कुल में से अनुसूचित जन जाति के लिए			
			कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय	अवशेष राशि	प्रेषित कुल यू. सी.	बकाया यू.सी.	स्वीकृत कुल कार्य	पूर्ण	अपूर्ण	शुरू नहीं किये गये कार्य	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि	स्वीकृत कुल कार्य	पूर्ण	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि	स्वीकृत कुल कार्य	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद .....

www.rajteachers.com

234

राजस्थान सरकार
वित्त (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात अनुभाग) विभाग

पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही (Action Taken) का ज्ञापन।

पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 29 मई, 2015 (जिसे वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. प 5(1) वित्त/ विआएवंआमा/एसएफसी/2014 दिनांक 30 मई 2015 द्वारा प्रसारित किया गया) द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। आयोग का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया गया। आयोग द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व आयोग द्वारा वर्ष 2016-2016 के लिए अनन्तिम व्यवस्था हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2015 को अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे कार्यवाही के ज्ञापन के साथ 22 सितम्बर, 2015 को सदन के पटल पर रखा गया था। आयोग द्वारा वर्ष 2016-2017 के लिए अनन्तिम व्यवस्था हेतु दिनांक 1 सितम्बर, 2016 को अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे कार्यवाही के ज्ञापन के साथ 2 सितम्बर, 2016 को सदन के पटल पर रखा गया था।

2. पंचम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन जो कि 1 अप्रेल 2015 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि से संबंधित है तथा उसमें की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 243 आई(4) तथा 243 वाई(2) के तहत सदन के पटल पर रखा जा रहा हैं। आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायो को राशि अन्तरण, अनुदान एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों एवं सुझावों का सारांश अपनी रिपोर्ट में दिया गया है।

3. राज्य सरकार द्वारा आयोग की मुख्य सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है जिनका विवरण एवं राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.स.	सिफारिश	राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विवरण
(1)	राज्य के स्वयं के कर राजस्व में से अंतरण के सम्बन्ध में सिफारिशें:	
(i)	राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (भारत सरकार से प्राप्त जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति राशि को छोड़कर) का 8.5 प्रतिशत हिस्सा इन संस्थाओं को अंतरित किया जाये।	राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्वयं के शुद्ध राज्य कर राजस्व (माल एवं सेवा कर के बदले प्रतिकर को छोड़कर) में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों का हिस्सा 8.50% किये जाने की सिफारिश स्वीकार नही की जाकर, इसके स्थान पर आयोग द्वारा वर्ष

www.rajteachers.com

		2015–16 एवं वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुसार 7.182% रखा जाना स्वीकार किया गया है।
(ii)	राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (भारत सरकार से प्राप्त जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति राशि को छोड़कर) के 8.5 प्रतिशत हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 70 एवं 30 प्रतिशत के अनुपात में किया जाये।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश स्वीकार नही की जाकर अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य यह अनुपात क्रमशः 75.1 एवं 24.9 यथावत रखा जाना स्वीकार किया गया है।
(iii)	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को करों में से देय हिस्सा राशि में से क्रमशः 40 एवं 20 प्रतिशत राष्ट्रीय/राज्य की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर उपयोग किये जाने की सिफारिश की गई है।	आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015–2016 से 2018–2019 की अवधि के लिए राशि अंतरित की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई है।
(iv)	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को करों में से देय हिस्सा राशि में से क्रमशः 55 एवं 75 प्रतिशत मूलभूत एवं विकास कार्यो के लिए उपयोग किये जाने की सिफारिश की गई है।	आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015–2016 से 2018–2019 की अवधि के लिए राशि अंतरित की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई है।
(v)	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने और समय पर लेखों का रख–रखाव और संपरीक्षा के लिए, अन्तरण योग्य निधियों की 5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि की सिफारिश की गई है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों से जुड़े जन प्रतिनिधियों को, जो नये विचारों का निष्पादन करते हैं, प्रोत्साहित किया जाने और उन्हें मान्यता दिये जाने हेतु	आयोग की प्रोत्साहन राशि सम्बन्धी सिफारिश अंन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुरूप है, अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश स्वीकार की गई है। किन्तु आयोग की अवार्ड अवधि का अन्तिम वर्ष होने के कारण आयोग द्वारा अनुपयोगी राशि के उपयोग के सम्बन्ध मे की गई सिफारिश स्वीकार नही की गई है।

www.rajteachers.com

	सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए एक स्कीम बनाने और इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए अनुपयोगी प्रोत्साहन राशि का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।	
(2)	पंचायती राज संस्थाऐं	
(i)	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से आवंटित की जाने वाली राशि के जिलेवार वितरण, जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और अन्य सामाजिक आर्थिक मापदण्डों जैसे लिंगानुपात, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, शिशु मृत्यु दर, बालिका शिक्षा, दशकीय जनसंख्या वृद्धि में गिरावट और 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) पर आधारित वंचन सूचकांक के आधार पर निर्धारित किये गये मानदण्ड़ों और भारों के आधार पर किये जाने की सिफारिश की गई है।	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से आवंटित की जाने वाली राशि के जिलेवार वितरण हेतु निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अनुपात अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुरूप है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार किया गया है।
(ii)	प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित हिस्से में से जिला परिषद को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत भाग दिया जाये।	आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015–2016 से 2018–2019 की अवधि के लिए राशि अंतरित की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई है।
(3)	नगरीय स्थानीय निकाय	
	आयोग द्वारा अपने वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदनों में नगरीय स्थानीय निकायों के हिस्से की राशि को नगरीय स्थानीय निकायों के तीन स्तरों पर वितरण के निर्धारित पैटर्न को पुनर्रचित किया है, जिसके अनुसार नगर निकायों के मध्य निधियों के 70% अंश को सभी नगरीय स्थानीय निकायों में 55%	आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015–2016 से 2018–2019 की अवधि के लिए राशि अंतरित की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई है।

www.rajteachers.com

	जनसंख्या और 15% क्षेत्र के आधार पर वितरित किया जाये। शेष 20% निधियां सभी नगरपालिकाओं के मध्य जनसंख्या के आधार पर और 10% निधियां नगरपालिकाओं को उच्चतम प्रति व्यक्ति स्वयं की आय से प्रति व्यक्ति स्वयं की आय विचलन के अनुपात में वितरित की जाने की सिफारिश की गई है।	
(4)	अन्य सिफारिशें:	
(i)	आयोग द्वारा यह भी सिफारिश की गयी है कि आयोग की सिफारिश के अर्न्तगत देय राशि का उपयोग किसी व्यक्ति/कार्मिक/जन प्रतिनिधि की निजी आवश्यकताओं के लिए नही किया जाना चाहिये।	आयोग की अन्तरिम प्रतिवेदनों के अनुसार वर्ष 2015–16 से 2018–19 हेतु राशि वितरित की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई है।
(ii)	14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों में वितरण के संबंध में आयोग ने वही मापदण्ड अपनाने की सिफारिश की है, जो राज्य वित्त आयोग द्वारा करों के हिस्से में वितरण हेतु निर्धारित किये गये हैं।	आयोग की अन्तरिम प्रतिवेदनों के अनुसार 2015–16 से 2018–19 के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। अतः आयोग की यह सिफारिश 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत भविष्य मे प्राप्त होने वाली राशि के वितरण के सम्बन्ध में स्वीकार की गई है।
(iii)	आयोग द्वारा वित्तीय अंतरण के अलावा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने, कर–आधार को बढ़ाने, लेखा संधारण आदि के संबंध में अन्य सुझाव भी दिये गये हैं।	आयोग द्वारा दिये गये अन्य सुझावों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा विचार एवं परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय समुचित स्तर पर लेने हेतु, निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार, अग्रिम कार्यवाही करने के लिए राज्य वित्त आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन उन्हें अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

www.rajteachers.com

4. क्रियान्विति:

(i) राज्य के वास्तविक शुद्ध कर राजस्व से अंतरण के संबंध में आदेश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

(ii) आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अंतरित राशि के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश संबंधित विभागों द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

(अशोक गहलोत)
मुख्यमंत्री

दिनांक : 23 जुलाई, 2019

www.rajteachers.com

(v) मल्टी टास्क स्टॉफ को संदाय–पंचायती राज संस्थाओं के पास लगभग 19 हजार मल्टी टास्क स्टाफ है और उनके पारिश्रमिक के संदाय के लिए 200 करोड रु. के उपबंध के लिए कहा गया है। जब से इन कर्मकारों को नियुक्त किया गया है, उनको पारिश्रमिक का संदाय किया जाना है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, हमारे द्वारा सिफारिश किये गये अनुदान की रकम में से इन संदायों को करने के लिए हम सहमत हैं। तथापि, विभिन्न बैठकों और क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान, कुछ सरपंचों ने इस प्रबंध पर असंतोष प्रकट किया है कि इन मल्टी टास्क स्टाफ के पारिश्रमिक का संदाय तो ग्राम पंचायतों से किया जा रहा है, किन्तु वे विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस मामले को निपटाना चाहिए क्योंकि इससे अस्पष्टता और दोहरा नियन्त्रण प्रकट होता है।

(vi) जनता जल योजना का संदाय–इन स्कीमों के बिजली के बिलों और अन्य दावों के संदाय में समस्या आ रही है। इसके अतिरिक्त, ये स्कीमें समस्त ग्राम पंचायतों में नही हैं। कुछ ग्राम पंचायतों में इनकी संख्या अधिक है जबकि अन्य में इनकी संख्या नगण्य या शून्य है। इन स्कीमों के लिए संदाय को लेकर ग्राम पंचायतों के मध्य आक्रोश की स्थिति बनी हुयी है। यह एक प्रशासनिक मामला है और राज्य सरकार द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। तथापि, आयोग को कोई आपत्ति नही है यदि इन स्कीमों को संदाय केन्द्रीकृत तरीके से किया जाता है (विभाग के मुख्यालय से या संबंधित जिला परिषद के माध्यम से)।

(vii) पंचायती राज विभाग ने पश्चात्वर्ती किस्त जारी करने के लिए 60 प्रतिशत उपयोगिता की शर्त के अधित्यजन के लिए कहा है। हमारी यह राय है कि चूंकि कई बार निधियों को जारी करने में कुछ या अन्य कारणों से देरी हो जाती है, यह शर्त केवल तब लागू होनी चाहिए जब किस्तें समय पर जारी की जाती हैं, अर्थात् संबंधित वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में पहली किस्त और तीसरी तिमाही में दूसरी किस्त।

स्वायत्त शासन विभाग

10.28रिपोर्ट के पूर्व अध्याय में स्वायत्त शासन विभाग के ज्ञापन के बारे में चर्चा की जा चुकी है। विभाग ने नगरीय स्थानीय निकायों इत्यादि को अन्तरित/अन्तरित किये जाने की

www.rajteachers.com Scanned by CamScanner